भाकृअनुप–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून– 248011.

फा.सं. 39 / 5(5)/SCF/Store/FP/2021-22 दिनांकः 11.01.2022

भीमल व कचनार की पत्तियों एवं सेमल की फलियों का नीलामी नोटिस

सर्व साधारण को अवगत कराया जाता है कि भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून मे **"भीमल व कचनार की पत्तियों एवं सेमल की फलियों की जैसी है जहाँ है के आधार पर"** खुली नीलामी (Open Auction) **दिनांकः 02–02–2022 को प्रातः 11–00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय** में संपन्न की जायेगी है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

भीमल व कचनार की पत्तियों एवं सेमल की फलियों की स्थिति	पेडो की कुल संख्या	नीलामी की अवधि	नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीकरण राशि का विवरण
फोरेज पार्क एवं पौध विज्ञान विभाग का गैर प्रायोगिक वन क्षेत्र, प्रक्षेत्र प्रबंधन अनुभाग।	कचनार –25 भीमल– 262 सेमल– 15	15 मार्च, 2022 तक	भीमल व कचनार के पत्तियों हेतु– रू0 1000 / – एवं सेमल की फलियों हेतु रू0 1000 / –

नीलामी की नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार से हैः–

1. भीमल व कचनार की पत्तियों एवं सेमल की फलियों की खुली नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को **दिनांक 02–02–2022 को प्रातः 11–00 बजे तक** अपना पंजीकरण कराना आवश्क होगा तत्पश्चात् नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी । पंजीकरण कराते समय निम्नलिखित दस्तावेज इत्यादि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी :–

- ➢ भीमल व कचनार की पत्तियों एवं सेमल की फलियों के लिए अलग अलग नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो कि **ICAR (UNIT) IISWC, Dehradun** के पक्ष में देय हो।
- ➢ बोलीदाता के **आधार कार्ड** की प्रतिलिपी ।
- ➢ बोलीदाता के बैंक पासबुक के प्रथम पेज जिसमें उनकी फोटो / नाम आदि का विवरण हो की प्रतिलिपी ।
- ➢ बोलीदाता के पेन कार्ड की प्रतिलिपी, यदि है ।

2. भीमल व कचनार की पत्तियों एवं सेमल की फलियों की नीलामी जैसी है जहाँ है के आधार पर की जायेगी। एक बार बोली छूटने के पश्चात् भीमल व कचनार की पत्तियों एवं सेमल की फलियों से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत इत्यादि को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. इच्छुक बोलीदाता भीमल व कचनार की पत्तियों एवं सेमल की फलियों का निरीक्षण नीलामी नोटिस जारी होने के पश्चात् किसी भी कार्यदिवस में 11.00 बजे से 4.00 बजे के बीच संबंधित क्षेत्र के तकनीकी अधिकारी की देख–रेख में कर सकते है।
4. सभी बोलीदाताओं को बोली के दिन कोविड–19 के दिशानिर्देशों के अनुरूप मास्क, सैनेटाइजेशन व दो गज की दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य है।
5. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा तथा नीलामी उनके पक्ष में की जायेगी।
6. अधिकतम बोलीदाता की पंजीकरण राशि को संस्थान के पास नीलामी ठेका प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सुरक्षित रखा जायेगा तथा अन्य बोलीदाओं की पंजीकरण राशि को बोली प्रक्रिया के पश्चात् वापिस कर दिया जायेगा।
7. सफल बोलीदाता को अधिकतम बोली की कुल राशि का 25 % बोली के तुरन्त पश्चात **उसी दिन डिमांड** ड्राफ्ट **/पी0ओ0एस0 मशीन अथवा NEFT/RTGS द्वारा संस्थान के खाते में जमा** कराना होगा तथा शेष धनराशि नीलामी तिथि के सात दिवस के भीतर अर्थात दिनांक 09.02.2022 तक संस्थान में अवश्य जमा करानी होगी। यह धनराशि **दिनांक** 09.02.2022 तक न जमा कराने की अवस्था में उनके पक्ष की नीलामी

रद्द मान ली जायेगी तथा उनकी धरोहर राशि भी जब्त करी ली जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही उनके नाम नीलामी आदेश जारी किये जायेंगे।

8. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि के अतिरिक्त कुल नीलामी राशि की 10 प्रतिशत राशि नीलामी ठेके की धरोहर राशि (सिक्योरिटी राशि) के रूप में उपरोक्तानुसार नीलामी के तुरन्त पश्चात **उसी दिन डिमांड ड्राफ्ट /पी0ओ0एस0 म￾ीन अथवा NEFT/RTGS द्वारा संस्थान के खाते में जमा** कराना होगा यह राशि नीलामी ठेका अवधि पूर्ण होने के बाद आंवटित किये गये ठेके का संतोषप्रद संचालन किये जाने की स्थिति में ही संबंधित बोलीदाता को वापिस की जोयगी।
9. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश प्राप्ति के पश्चात् पत्तियो एवं फलियों को अनुसंधान प्रक्षेत्र से ले जाने इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी स्वंय की होगी। संस्थान द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अथवा व्यय वहन नहीं किया जायेगा।
10. सफल बोलीदाता को उपरोक्त कार्य में लगाये जाने वाले कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी उनके आधार कार्ड की प्रति सहित प्रक्षेत्र अधीक्षक को जमा करानी होगी। वह भीमल व कचनार की पत्तियों की कटाई एवं सेमल की फलियों की तुडाई हेतु बाल मजदूर का उपयोग नहीं करेंगे।
11. सफल बोलीदाता द्वारा क्रम स0 7 में दी गयी शर्तो को पूर्ण करने के पश्चात् पत्तियों की कटाई एवं फलियों की तुडाई का अधिकार निदेशक, महोदय की स्वीकृति के पश्चात् उपरोक्त तालिका में दी गयी नीलामी अवधि तक ही होगा। उसके पश्चात् उनको भीमल व कचनार की पत्तियों की कटाई एवं सेमल की फलियों की तुडाई हेतु प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
12. सफल बोलीदाता द्वारा भीमल व कचनार की पत्तियों की कटाई एवं सेमल की फलियों की तुडाई इत्यादि का कार्य, कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 4.00 बजे के बीच ही करना होगा।
13. सफल बोलीदाता के द्वारा भीमल व कचनार की पत्तियों की कटाई एवं सेमल की फलियों की तुडाई के दौरान यदि अनुसंधान प्रक्षेत्र की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो इस नुकसान की भरपाई में हाने वाला समस्त व्यय का भुगतान बोलीदाता को स्वंय करना होगा अन्यथा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।
14. सफल बोलीदाता द्वारा भीमल व कचनार की पत्तियों की कटाई एवं सेमल की फलियों की तुडाई के दौरान उनको या उनके कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का शारीरिक नुकसान इत्यादि होता है तो उसकी जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
15. **समस्त ठेकेदार/बोलीदाता चेहरे पर मास्क/गमछा पहनकर, हाथों को सेनेटाइज कर तथा बोली के समय एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी का ध्यान रखेंगे** तथा बोलीदाता के अलावा उनके साथ आये किसी भी व्यक्ति को मुख्य द्वार से अन्दर कार्यालय/नीलामी स्थल में आने की अनुमति नही होगी।
16. बिना कोई कारण बताये इस ठेके से सम्बन्धित प्राप्त बोलियों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त किये जाने के पूर्ण अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित होंगे।
17. यदि नीलामी की तिथि को किसी प्रकार का अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर ही पूर्ण की जायेगी तथा इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी ।
18. इस ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार देहरादून न्यायालय होगा।
19. उपर्युक्त नीलामी ठेके से संबंधित सभी अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित रहेंगे और किसी एक अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार भी सुरक्षित रखतें हैं ।

अतः नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं

(राकेश कुमार)
प्रक्षेत्र अधीक्षक
अनुसंधान प्रक्षेत्र सेलाकुई